राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
72/2024	28.10.2024	06.11.2025

बउनवान

1. इन्दरलाल पुत्र मंगू, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. भागचन्द पुत्र मंगू, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. ओमप्रकाश पुत्र मंगू, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. हेमचन्द पुत्र मंगू, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. लोकेश पुत्र मंगू, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. कृष्णा पुत्री मंगू, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. बीना पुत्री मंगू, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. शीला पुत्री मंगू, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।

..**प्रार्थीगण/सायलान**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर, दौसा।
2. पूरण पुत्र भोरया, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. रामचन्द पुत्र भोरया, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।

..**अप्रार्थीगण/गैरसायलान**

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री ओमप्रकाश कुण्डारा, श्री रामनिवास जाटव।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 व 3 – श्री धर्मसिंह राजपूत, श्री प्रदीप चौधरी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजी खसरा सं. 18 रकबा 0.05 हैक्टे. ग्राम नांगल, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है जो कि गत खसरा नं. 53/2 से बना है। सायलान के पिता मंगू पुत्र विशन्या को आराजी खसरा नं. 18 रकबा 15 ऐयर भूमि का आवंटन किया गया था जिसका इन्द्राज भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा खतौनी में दर्ज है तथा उक्त आवंटन के बाद से ही करीब 50 वर्ष से सायलान के पिता काबिज काश्त थे और उनकी मृत्यु के बाद उक्त 15 ऐयर भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। गैरसायल सं. 2 व 3 के पिता भोरया चतुर किस्म के व्यक्ति थे जिन्होने भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से साज कर उक्त आराजी खसरा नं. 18 में से 10 ऐयर भूमि को अपने नाम करवा लिया तथा उसका अलग खसरा नं. 18/636 रकबा 0.10 हैक्टे. का राजस्व रिकॉर्ड में अमल करवा लिया तथा 5 ऐयर भूमि सायलान के पिता के नाम राजस्व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

रिकॉर्ड में दर्ज कर दी जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं था। उक्त कांट–छांट की प्रमाणित प्रति पर्चा खतौनी भू प्रबन्ध विभाग प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। दिनांक 06.10.2024 को सायलान के पिता मंगू की मृत्यु होने पर जब विरासत का नामान्तकरण खुलवाया तो सायलान की भूमि कम होने का पता चला जिसके बाद सम्पूर्ण रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की गई और गैरसायल संख्या 2 व 3 से सायलान के हिस्से की 10 ऐयर भूमि को उसके नाम वापिस कराने एवं राजस्व रिकॉर्ड में करवाये गये गलत इन्द्राज दुरुस्त कराने को कहा तो गैरसायल संख्या 2 व 3 एकदम नाराज हो गये और सायलान को ऐलानिया धमकी दी कि हमने सैटलमेन्ट अधिकारियों से साज करके तुम्हारी भूमि को हमारे पिता ने अपने नाम करवा लिया था, अब हम उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर तुमको बेदखल करेंगे तथा इस गलत इन्द्राज को दुरूस्त नहीं करवायेगे। हम उक्त भूमि को तुमसे छीन कर ही रहेगे। यदि तुम नहीं माने तो आराजी खसरा नम्बर 18/636 रकबा 0.10 हैक्टे. जो हमें गलत इन्द्राज से हमारी खातेदारी में जुडी है, उसे किसी दीगर व्यक्ति को बेचकर खुर्द–बुर्द कर देगें जो तुमको बेदखल कर कब्जा प्राप्त कर लेगे। सायलान ने गैरसायलान को खूब समझाया कि यह भूमि तुम्हारी खातेदारी में गलत रूप से दर्ज हो गयी है जो तुम्हारी नहीं है। इस पर हमारा 50 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन गैरसायलान अपनी हठधर्मिता पर अडिग हैं। यदि गैरसायलान अपनी उक्त ऐलानिया धमकी में सफल हो गये तो सायलान को अपने हक हकूकों से वंचित होना पड़ेगा जिससे सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये सायलान को यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान श्रीमान न्यायालय के समक्ष करना लाजिम आया है। सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस तथा सुविधा का संतुलन बखूबी साबित है। अतः अर्ज है कि गैरसायलान को दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो सायलान के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 18 रकबा 0.05 हैक्टे. व 18/636 रकबा 0.10 हैक्टे. जो गत खसरा नम्बर 53/2 से बने है, के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट, मजाहमत–मदाखलत बेजा पैदा ना करें, उसे बेदखल नहीं करे। गलत इन्द्राज के आधार पर विक्रय नहीं करे। उक्त सभी कार्य ना तो गैरसायलान स्वयं करें और ना ही किसी दीगर व्यक्तियों से करावे। रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 28.10.2024 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 18, 18/636 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी सं. 1 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 18 सायलान के कहे अनुसार सा.ख.नं. 53/2 से बना है जबकि साबिक राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक साबिक ख.नं. 53/2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

का सम्पूर्ण रकबा ही 12 बिस्वा का था तो फिर उससे बनने वाला हाल ख.नं. 18 का रकबा 0.15 का अकेला कैसे हो सकता है जबकि उससे एक अन्य नम्बर 39 रकबा 0.10 हैक्टे. भी बना है जिससे सायलान के कहे अनुसार माना जावे तो ख.नं. 18 का रकबा 0.15 हैक्टे. एवं खसरा नम्बर 39 का रकबा 0.10, कुल 0.25 हैक्टे. का रकबा होता है जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं हो सकता जबकि हम उत्तरदातागण की खातेदारी की खसरा नम्बर 18/636 रकबा 0.10 हैक्टे. साबिक खसरा नम्बर 50 मिन से बना है जिससे स्पष्ट है कि उक्त ख.न. हाल 18 एवं 18/636 के साबिक ख.नं. ही अलग–अलग है तथा दोनों ही साबिक ख. नं. का नक्शा ट्रेस में भी स्थान अलग–अलग है जिससे स्पष्ट है कि ख.नं. 18/636 रकबा 0.10 हैक्टे. एवं उसके साबिक ख.नं. 50 मिन से सायलान एवं उनके पिता मंगू पुत्र बिशन्या का कोई लेना–देना नहीं था और ना ही आज भी है और ना ही कभी उसे उक्त ख.नं. 18/636 आवंटन नहीं था। उक्त आराजी पर शुरू से ही हम उत्तरदातागण के पिता भोरया, चन्दा पुत्र लच्छों जाति सैनी की खातेदारी की आराजी रही है तथा उस पर कब्जा भी इन्हीं का रहा है। उनकी मृत्यु के बाद हम उत्तरदातागण का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। इस कारण उक्त मद में सभी तथ्य असत्य दर्ज कराये है जो स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी ख.नं. 18 रकबा 0.05 हैक्टे. शुरू से ही 0.05 हैक्टे. का ही था क्योंकि जब इसका सा.ख.नं. 53/2 का रकबा ही 12 बिस्वा का था जबकि उक्त खसरा नम्बर से ही 39 रकबा 0.10 हैक्टे. भी बना है तो फिर इस तरह राजस्व रिकॉर्ड में कैसे फेरबदल हो सकता है जबकि खसरा नम्बर 18/636 रकबा 0.10 हैक्टे. का साबिक अलग है। रहा सवाल पर्चा खतौनी में कांट–छांट कर तो पर्चा खतौनी खातेदारी का अथवा रकबा का मुख्य सबूत नहीं होता है। उसमें किसी भी प्रकार की गलती की गुंजायश रहती है, उसे ठीक किया जा सकता है जिसे नियमानुसार तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने सुधार किया होगा। उसकी हम उत्तरदातागण को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है क्योकि हमारा उक्त भूमि पर शुरू से ही कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी ख.नं. 18 शुरू से ही 0.05 हैक्टे. का रकबा था तथा वही रकबा की खातेदारी सायलान के पिता मंगू पुत्र बिशन्या की खातेदारी में रही है। सायलान द्वारा अपने पिता की विरासत का नामान्तकरण भी सन् 2022 में खुलवाया है। उसके बावजूद भी उनके द्वारा गलत तथ्य उक्त मद में अंकित करते हुये बनावटी विनाय प्रार्थना पत्र बनाया है तथा बनावटी तथ्य लिखते हुये ही उक्त प्रार्थना बिना बिनाय प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत किया है जो कि खारिज होने योग्य है। सायलान का ना तो प्रथम दृष्ट्या केस ही साबित है और ना ही सुविधा का सन्तुलन ही उसके पक्ष में है। हम उत्तरदातागण की भूमि से सायलान का कोई वास्ता ही नहीं है तो फिर वो उन्हें धमकी क्यों देगे और उन्हें कोई अपूरणीय क्षति होगी। इसको सायलान की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है जबकि हम उत्तरदातागण का उक्त भूमि पर हमारे पिता के जीवनकाल से ही कब्जा रहा है, उसकी खातेदारी में रही है। उसके बाद हमारी खातेदारी में आयी है। जिससे सायलान का कोई लेना देना किसी भी प्रकार का नहीं है। यदि उक्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का आदेश हम गैरसायलान उत्तरदाता के विरूद्ध पारित किया जाता है तो उससे हमें अपूरणीय क्षति होगी। लिहाजा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी हमारे पक्ष में है। हम उत्तरदातागण की भूमि ख.नं. 18/636 रकबा 0.10 है. ग्राम नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, जिला दौसा से सायलान का एवं सायलान से पूर्व उनके

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

पिता मंगू पुत्र बिशन्या का कोई लेना देना नहीं रहा है। उक्त भूमि के हाल नम्बर एवं साबिक ख.नं. 50 मिन से पूर्व से ही अलग जगह एवं अलग खातेदारी का नम्बर रहा है जिसकी खातेदारी अथवा कब्जा कभी भी सायलान एवं उनके पिता का नहीं रहा है। आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 0.05 है. एवं आ.ख.नं. 39 रकबा 0.10 है० साबिक ख.नं. 53/2 रकबा 12 विस्वा से मिलकर बने है जिनमें से ख.नं. 18 रकबा 0.05 हैक्टे. की खातेदारी मंगू पुत्र बिशन्या के नाम रही है जिसकी भूमि अलग है तथा उसकी जगह भी अलग थी जो साबिक नक्शा ट्रेस एवं हाल नक्शा ट्रेस में अंकित है। सायलान द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र महज हम उत्तरदातागण की भूमि को हडपने के उदेश्य से गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। सायलान द्वारा बनावटी विनाय दावा बनाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो बिना विनाय प्रार्थना पत्र के होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध *– इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, विवादित आराजी खसरा नम्बर 18 के प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण वाद पत्र के जरिये खसरा संख्या 18/636 को साबिक खसरा 53/2 से बनना कथन करते हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्ठी को दुरुस्त करवाना चाहते हैं जबकि अप्रार्थीगण के द्वारा खसरा संख्या 18/636 को साबिक खसरा 50 से बनना कथन करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का कथन किया है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के इन कथनों का निर्धारण वाद पत्र में साक्ष्य उपरान्त गुणावगुण पर किया जाना संभव हो सकेगा। विवादित आराजीयात खसरा संख्या 18/636 का वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है व प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

आदेश

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम नांगल सुमेरसिंह, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात 18, 18/636 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.10.2024 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 06.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज